

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग  
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल-462016  
भोपाल, दिनांक- 23 जुलाई, 2004

**शुद्धि-पत्र**

क्रमांक-2000 -विनिआ-2004- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1713 दिनांक 25 जून, 2004 जिसका प्रकाशन "मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र" भाग-4(ग), दिनांक 2 जुलाई 2004 में हिन्दी संस्करण पृष्ठ क्रमांक 1171 पर किया गया है। त्रुटिवश इस अधिसूचना में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत सुधार अधिनियम, 2003 ( 2003 का क्रमांक 36) की धारा 181(आई) और 91(4) मुद्रित हो गया है। साथ अंग्रेजी संस्करण में SCHEDULE-1 का प्रकाशन नहीं हो पाया । अतः इसमें निम्नलिखित त्रुटिसुधार किया गया है ।

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत सुधार अधिनियम, 2003 ( 2003 का क्रमांक 36) की धारा 181(आई) और 91(4) के स्थान पर विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का क्रमांक 36) की धारा 181(1) और 91(4) पढ़ा जावे।

आयोग के आदेशानुसार

**अशोक शर्मा**, उपसचिव

SCHEDULE-1 इस प्रकार है -

**SCHEDULE -1**

ARTICLES OF AGREEMENT made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ BETWEEN \_\_\_\_\_ of the one part and the M.P. Electricity Regulatory Commission (herein after called "the Commission") of the other part, WHERE AS the Commission has engaged the party of the first part as a Consultant and the party of the first part has agreed to provide the consultancy services to the Commission, on the terms and conditions hereinafter contained.

NOW THESE PRESENT WITNESSES and the parties hereto respectively agree as follows:

1. The party of the first part shall submit itself to the orders of the Commission and of the officers and authorities under whom it may from time to time be placed by the Commission.
2. The party of the first part shall complete the assignment as contained in Annexure-I within a period of one month commencing from \_\_\_\_\_
3. The party of the first part shall be paid as under :